



# Haryana Government Gazette EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 207-2016/Ext.]

चण्डीगढ़, सोमवार, दिनांक 19 दिसम्बर, 2016  
(28 अग्रहायण, 1938 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग-I	अधिनियम कुछ नहीं	
भाग-II	अध्यादेश कुछ नहीं	
भाग-III	प्रत्यायोजित विधान अधिसूचना संख्या का०आ० 59/प०अ० 17/1887/धा० 5/2016, दिनांक 19 दिसम्बर, 2016 - अधिसूचना संख्या का० आ०47/प०अ० 17/1887/धा०5/2016, दिनांक 04 नवम्बर, 2016 में "जींद" शब्द जहां कहीं भी आए, के स्थान पर नरवाना शब्द प्रतिस्थापित करने बारे। (प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	525-526
भाग-IV	शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन कुछ नहीं	

Price : Rs. 5.00

(lxxxv)

भाग-III

हरियाणा सरकार

राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 19 दिसम्बर, 2016

संख्या का० आ० 59/पं० अ० 17/1887/घा० 5/2016.—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908(1908 का केन्द्रीय अधिनियम 16), की धारा 5 के साथ पठित पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887(1887 का पंजाब अधिनियम 17), की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ० 47/पं०अ० 17/1887/घा० 5/2016, दिनांक 04 नवम्बर, 2016 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:

संशोधन

हरियाणा सरकार, राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ० 47/पं०अ० 17/1887/घा० 5/2016, दिनांक 04 नवम्बर, 2016 में, "जीन्द" शब्द जहाँ कहीं भी आए, के स्थान पर, "नरवाना" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

कैशनी आनन्द अरोड़ा,  
अपर मुख्य सचिव एवं वितायुक्त, हरियाणा सरकार,  
राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT**  
**REVENUE AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT**

**Notification**

The 19th December, 2016

No. S.O. 59/P.A. 17/1887/S. 5/2016.—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Punjab Land Revenue Act, 1887 (Punjab Act 17 of 1887) read with section 5 of the Registration Act, 1908 (Central Act 16 of 1908), the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in the Haryana Government, Revenue and Disaster Management Department, notification No. S.O.47/P.A.17/1887/S.5/2016, dated the 04th November, 2016, namely :—

**Amendment**

In the Haryana Government, Revenue and Disaster Management Department, notification No. S.O.47/P.A.17/1887/S.5/2016, dated the 04th November, 2016, for the word "Jind" wherever occurring the word "Narwana" shall be substituted, namely :-

**KESHNI ANAND ARORA,**  
Additional Chief Secretary and Financial Commissioner to Government Haryana,  
Revenue and Disaster Management Department.